रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD NO D L-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 255] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 2002/आश्विन 8, 1924

No. 255] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 2002/ASVINA 8, 1924

10/3/03

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2002

विषय :—संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, सिंगापुर और यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 3000 से 4000 तक के आणविक भार के फलैक्सीबैल स्लैब स्टाक पालीयोल के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच—अंतिम निष्कर्ष

सं. 41/1/2001-डीजीएडी.—नामित प्राधिकारी, भारत सरकार 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 20 सितम्बर, 2002 की अधिसूचना संख्या 41/1/2001-डीजीएडी द्वारा अधिसूचित अंतिम निष्कर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित स्पष्टीकरण देते हैं।

अधिसूचना शब्द के नीचे प्रकाशित शब्दों "प्रारम्भिक निष्कर्ष" को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :—

"अंतिम निष्कर्ष"

ए. के. ठाकुर, संयुक्त सचिव, नामित अधिकारी की ओर से

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 30th September, 2002

Subject :— Anti-dumping investigation concerning imports of Flexible Slabstock Polyol of molecular weight 3000 to 4000 originating in or exported from USA, Japan, Singapore and European Union—Final Findings.

No. 41/1/2001-DGAD.—The Designated Authority, having regard to the Customs Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, hereby makes the following clarification in the Final Findings notified vide Notification No 41/1/2001-DGAD dated 20th September, 2002

The words, "Preliminary Findings" appearing below the word Notification shall be read as under .—

"Final Findings"

A. K. THAKUR, Jt Secy on behalf of Designated Authority

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications Delhi-110054